भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 3214
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

स्वतंत्र निदेशक

3214. कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षं में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों के पदों को पूर्व नौकरशाहों/पूर्व पीएसयू कार्यकारी अधिकारियों द्वारा भरा गया है, जिनके पास अपेक्षित अर्हता और देश में काम करने का अनुभव भी नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के बोर्डों में क्रियाशील (फंक्शनल), सरकारी और गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं। सीपीएसई के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति का प्रस्ताव संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाता है जिसमें भर्ती के लिए प्रस्तावित प्रत्येक पद के वास्ते कम-से-कम 3 पात्र व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की जाती है। सभी सीपीएसई के संबंध में गैर-सरकारी निदेशकों का चयन जांच समिति द्वारा किया जाता है जिसमें वर्तमान में सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) अध्यक्ष, सचिव (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम), सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव और 2 गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन लेने के बाद जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।

सरकार ने सीपीएसई के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु व्यक्तियों की शैक्षिक अर्हताओं, आयु और अनुभव के संबंध में मानक निर्धारित किए हैं।

पिछले तीन वर्षों (2012, 2013 और 2014) तथा वर्तमान वर्ष (2015) के दौरान जांच समिति ने लगभग 212 सीपीएसई में गैर-सरकारी निदेशकों के लगभग 457 पदों को भरने के लिए करीब 516 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है जिनमें लगभग 172 पूर्व सरकारी कर्मचारी, लगभग 136 सीपीएसई के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/निदेशक, लगभग 87 प्रोफेसर/शिक्षाविद् और लगभग 114 पेशेवर लोग शामिल हैं।

सीपीएसई के बोर्डों ने गैर-सरकारी निदेशकों के चयन/नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक इस प्रकार हैं:

(क) <u>अनुभव के मानदंड</u>

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिन्हें संयुक्त सचिव या उससे ऊपर स्तर का कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

(ii) सीपीएसई के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अनुसूची 'क' सीपीएसई के कार्यशील निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त व्यक्ति। सीपीएसई के पूर्व मुख्य कार्यकारी और पूर्व कार्यशील निदेशकों पर उस सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सीपीएसई में कार्यरत मुख्य कार्यकारी/निदेशक किसी सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार करने के पात्र नहीं होंगे।

(iii) शिक्षाविद्/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्ष और प्रोफेसर जिन्हें संबंधित क्षेत्र जैसे प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन या विधि में 10 से अधिक वर्षों का शिक्षण या अनुसंधान का अनुभव हो।

(iv) कंपनी के कार्यकलापों के क्षेत्र से संबंधित विषयों में 15 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले विख्यात पेशेवर।

(v) प्राइवेट कंपनी, यदि (क) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या (ख) असूचीबद्ध परंतु लाभ कमाने वाली और जिसका वार्षिक टर्नओवर कम-से-कम 250 करोड़ रुपए हैं, के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(vi) उद्योग, व्यापार या कृषि अथवा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रमाणित योग्यता वाले विख्यात व्यक्ति।

(vii) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियों के कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशकों पर भी अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में सीपीएसई के बोर्डों में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।

(ख) <u>शैक्षिक अर्हता के मानदंड</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम-से-कम स्नातक डिग्री।

(ग) <u>आयु के मानदंड</u>

आयु सीमा 45-65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए तथापि, इसमें विख्यात पेशेवरों को, उचित कारणों को दर्शाते हुए, 70 वर्ष तक कार्य करने की छूट दी जा सकती है।

(घ) <u>पुन: नियुक्ति</u>

गैर-सरकारी निदेशकों को एक ही सीपीएसई में अधिकतम दो कार्यकाल (जिसमें प्रत्येक कार्यकाल तीन वर्ष का होगा) पूरे करने के बाद पुन: नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(ङ.) <u>एक ही समय में अनेक सीपीएसई में नियुक्ति</u>

किसी व्यक्ति को एक ही समय में तीन में ज्यादा सीपीएसई के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(च) <u>प्राइवेट कंपनियों में निदेशक पद</u>

कोई व्यक्ति जिस पर सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा है, 10 से अधिक कंपनियों में निदेशक का पद नहीं संभाल सकता।

*****